न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		**अप्रार्थीगण**
गोपालराम पुत्र फागलूजी जाति भील निवासी मोयला भाखरी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवडा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 53 / 2025
दिनांक 01.07.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बादला, पटवार हल्का बादला, भू.अभि.नि.क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राज.) की सींव में जिसके खसरा संख्या 131 / 9 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी 3 की आई हुई स्थित है प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बादला, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में उत्तरी पश्चिमी माठ की तरफ पडौस में अप्रार्थी की कृषि भूमि मौजा बादला, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही के खसरा संख्या 131 / 153 रकबा 33.839 हैक्टर की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 131 / 9 में आने–जाने हेतू अप्रार्थी की भूमि 131 / 153 के उत्तरी पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुये प्रार्थी अपने खेत से मुख्य रास्ता से आना–जाना करते आ रहे है जिसमें अप्रार्थी द्वारा बार बार व्यवधान पैदा किया जाता है तथा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतू निकटतम रास्ता अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 131 / 153 में से ही है जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतू रूकावट पैदा की जा रही है जो रास्ता संलग्न नजरी नक्शानुसार दिलाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है, जिससे प्रार्थी द्वारा आपके समक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता दिलाने बाबत् पेश है। प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 131 / 153 के उत्तरी पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुए अपने खेत में आना–जाना किया जा रहा है जिस रास्ते को 30 फीट चौडाई में एवं अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 131 / 153 के लम्बाई में उत्तर से दक्षिण तक रास्ता दिलाये जाने पर मैं प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 131 / 9 में आने–जाने हेतू अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 131 / 153 के उत्तरी पूर्वी माठ के सहारे सहारे 30 फीट चौडाई में संलग्न नंजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित रास्ते को अप्रार्थी से प्रार्थी को नियमानुसार राजस्व नियमो के तहत दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 341 दिनाक 12.06.2025 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 27.06.2025 को तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक 424 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु ग्राम बादला के खसरा नं0 131 / 153 में से प्रस्तावित किया गया है जो बिलानाम (राजस्थान सरकार) के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता 214 मीटर लम्बा तथा 9.15 मीटर चौडा है जिसका कुल क्षैत्रफल 1958.1 वर्गमीटर बनता है जो निकटवर्ती ... खसरा से जुडता है तथा लधुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल... 1,42,000 /– रूपये प्रति हेक्टयर है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि की कीमत ... है जिसकी दुगुनी कीमत 55612 /–रूपये बनती है। दिनांक 27.06.2025 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी बहस की ... सहमति प्रदान की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:40:47 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 53/2025
गोपालराम बनाम तह0 शिवगंज
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

कसं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	बिलानाम (राजस्थान सरकार)	131/153	214X9-15=1958-1 वर्गमीटर	142000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	27806	55612/–रूपये अक्षरे पचपन हजार छः सौ बारह रूपये मात्र।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बादला तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 131/9 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा बादला के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु मौजा बादला के खसरा नं0 131/153 रकबा 33.8398 हैक्टयर में से 9.15 मीटर चौडा एवं 214 मीटर लम्बाई की डीएलसी दर 1,42,000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 27806/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 55612/–(पचपन हजार छः सौ बारह) रूपये** का भुगतान प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय शिवगंज के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही सरकारी बिलानाम भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 388 दिनांक 01.07.2025

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:47 IST
Reason: SelfAttested